झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या-07

द्वितीय (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांक-12 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.27 बजे अप० तक।
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.विविध-चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने आज विभिन्न अखबारों में बिजली की गम्भीर समस्या सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसके निदान हेतु आग्रह किया,

ii- माननीय सदस्य, श्री उमाशंकर अकेला ने हजारीबाग जिला के बरही, बरकट्ठा एवं कोडरमा प्रखण्डों में 18-18 घंटे बिजली कटौती किये जाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए इसके सद्य: निदान हेतु आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया,

iii-माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने डी.वी.सी. के कमांड एरिया में उत्पन्न गम्भीर बिजली संकट की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iv-आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा उपर्युक्त सम्पूर्ण विषयों को संज्ञान में लिया गया,

v- माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल ने चुनाव आयोग के एक पत्र की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष की मान्यता शीघ्र देने की कृपा की जाय (इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्राय: सम्पूर्ण सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे),

vi-माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल मराण्डी ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने दल का भारतीय जनता पार्टी में विलय सम्बन्धी अपनायी गयी सम्पूर्ण प्रक्रियाओं तदुपरांत सामूहिक रूप से लिये गये फैसले से उन्हें अवगत कराया तथा अनुरोध किया कि वे स्वविवेक से शीघ्र नेता प्रतिपक्ष के सम्बन्ध में अपना निर्णय सुनाने की कृपा करें तत्पश्चात् उन्होंने आश्वस्त किया कि आज के बाद इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य सदन की वेल में नहीं आयेंगे।

आसन द्वारा सदन को विश्वास दिलाया गया कि जो शंकायें व्यक्त की जा रही है, वे निराधार है, यह विषय अभी विधिक प्रक्रिया के अधीन है, शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-06

(क) उत्तरित कुल-04, अ० सू०-62 श्री अमित कुमार मण्डल, स० वि० स०,

P.T.O

अ० सू०-63 श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०,
अ० सू०-64 श्री सरयू राय, स० वि० स०,
अ० सू०-65 श्री मनीष जयसवाल, स० वि० स०।
(ख) स्थगित मात्र-01, अ० सू०-66 श्री सरयू राय, स० वि० स०।
(ग) अनागत मात्र-01, अ० सू०-67 श्री अमित कुमार मण्डल, स० वि० स०।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-43

(क) उत्तरित कुल-04, तारां०-202 श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०,
तारां०-204 श्री कमलेश कुमार सिंह, स० वि० स०,
तारां०-205 श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०,
तारां०-206 श्री नलिन सोरेन, स० वि० स०।
(ख) अपृष्ठ मात्र-01, तारां०-203 प्रो० स्टीफन मराण्डी, स० वि० स०।
(ग) अनागत कुल-38, तारां०-207 से तारां०-244 तक।

(इस अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा प्रश्नोत्तरों के क्रम में "आंशिक स्वीकारात्मक है" पर आपत्ति जताची गयी जिसे भविष्य में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया।)

3.शून्यकाल:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनाये पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री बिरंची नारायण,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री नारायण दास,
श्री प्रदीप यादव,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्री भूषण तिर्की,
श्री समीर कुमार महांती,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री लम्बोदर महतो,
श्री बंधु तिर्की,
श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं
श्री अमित कुमार मंडल।

(इस अवसर पर राज्य में राशन के अभाव में गरीबी एवं भूख से मर रहे लोगों के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा सभी जरूरतमंदों एवं गरीबों को राशन-कार्ड तथा आधार कार्ड उपलब्ध कराने की माँग रखी गयी जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया।)

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

P.T.O →

ii-माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य स०वि०स० द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii-माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv-माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v-माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा गढ़वा जिले के एकमात्र डोलोमाईट तुलसी डामर खदान के बन्द हो जाने से हजारों मजदूरों के बेकार हो जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त खदान को पुनः चालू किये जाने हेतु आग्रह किया गया जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया।)

5.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग), श्री रामेश्वर उराँव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिनियम से सम्बन्धित निर्गत संकल्प संख्या-2124, दिनांक-19.07.2019, संकल्प संख्या-3110, दिनांक-09.10.2019, अधिसूचना संख्या-3905, दिनांक-11.10.2018 एवं अधिसूचना संख्या-2188, दिनांक-23.07.2019 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

6.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(02) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), भवन निर्माण एवं पथ निर्माण विभाग की माँगें सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँगों पर वाद-विवाद हेतु विभिन्न दलों के निमित्त समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा धनबाद में बिजली संकट, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा गोड्डा में बालू खनन के दौरान पाँच लोगों की मौत, सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा रेलवे फाटक पर हत्या कर शव को जलाने, श्री बंधु तिर्की द्वारा चाईबासा में कार्यरत लिपिक को वेतन नहीं दिये जाने, श्री लोबिन हेम्ब्रम द्वारा जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं दिये जाने, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा डी.वी.सी. के चेयरमैन को चलते सत्र में बुलाये जाने, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी द्वारा विद्यालयों में बच्चों के बीच गांजा बेचने तथा श्री नवीन जयसवाल एवं प्रदीप यादव द्वारा सदन में साउंड सिस्टम ठीक किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसे सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया।)

इसके उपरांत माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी तत्पश्चात् निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी बारी-बारी से आसन के निदेश से इसमें भाग लिया-

श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता ,

P.T.O.

श्री सुदिव्य कुमार,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री प्रदीप यादव,
श्री किशुन कुमार दास,
श्री लोबिन हेम्ब्रम एवं
श्री भानु प्रताप शाही।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की द्वारा विधायकों को भी इंदिरा आवास आदि के निमित्त कम से कम 50 हजार रुपये तक अनुशंसा किये जाने हेतु आसन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया।)

तदुपरांत सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा उत्तर दिया गया, इसके बाद माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लिया और वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(02) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग), भवन निर्माण एवं पथ निर्माण विभाग की माँगे सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई।

तत्पश्चात् **सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक-13 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिये स्थगित की गयी।**

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 12 मार्च, 2020ई०।